

पेटी
25/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
परसराज पुत्र मजतापुत्र परिवर्ती		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर 234/2021		GCMS No. 2021/953
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
25/11/2021	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p> <p>वादी श्री परसराज पुत्र मजतापुत्र जाति शिखर निवासी परिवर्ती द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत परिवर्ती में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2073-2074 ग्राम परिवर्ती पटवार मण्डल परिवर्ती के खाता नम्बर 146 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि पुरुषोत्तम पुत्र मजतापुत्र दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम परसराज पुत्र मजतापुत्र है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 4806 2/23 4298 मतदाता पहचान पत्र R5/25/196/531444 अन्य दस्तावेज PAN- 114 Fps 2199, पत्र आधार नम्बर 4845262 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी भू.अ.नि एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)</p>	

268-971

